अपेक्स बैंक

M.P. (H.O.)/म.प्र.(मुख्या.) 30/टीसी/1241/1771

Date/दिनांक 29.07.2020

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.
समस्त (म.प्र.)।

विषयः–कृषकों को पशुपालन एवं मत्स्य पालन हेतु कार्यशील पूंजी साख सीमा की योजना – संशोधित वित्तमान के संबंध में।

संदर्भः– राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की दिनांक 22.07.2020 को संपन्न बैठक एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का पत्र कमांक एस.एल.बी.सी./2020–21/125 दिनांक 27.07.2020 ।

माननीय कृषि उत्पादन आयुक्त, म0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की दिनांक 22.07.2020 को संपन्न बैठक में कृषकों को पशुपालन एवं मत्स्य पालन हेतु कार्यशील पूंजी साख सीमा के लिए इकाई लागत का निर्धारण किया गया है, जो कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संदर्भित पत्र (मय संलग्नक प्रति संलग्न) से प्राप्त हुआ है।

अतः कृपया दुग्ध सहकारी समितियों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर उक्त अनुसार निर्धारित इकाई लागत को दृष्टिगत रखते हुए साख सीमा प्रकरणों में नियमानुसार एवं पात्रता अनुसार स्वीकृति संबंधी आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

भवदीय

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(के. टी. सज्जन)
सहायक महाप्रबंधक

ZO: SLBC: 2020-21: 125

July 27, 2020

STATE HEAD OF ALL BANKS IN M.P.

Reg- State Level Technical Committee- Revision of Scale of Finance

---

The issue of dichotomy in the Scale of Finance (SOF) fixed for Dairy KCC was flagged by the banks in SLBC sub-committee meeting of Agriculture. The house opined to rationalize SOF for the entire state and the matter needs to be examined by the State Level Technical Committee (SLTC). Therefore, a meeting of SLTC was held on 22.07.2020 under Chairmanship of the Additional Chief Secretary & Agriculture Production Commissioner, GoMP. The committee decided the following Scale of Finance for dairy KCC in the State of M.P.

Working capital credit limit by way of KCC Rs 15000/- and Rs 18000/- for cow and buffalo respectively equal to 3 months Scale of Finance can be fixed. The limit will be valid for one year and can be renewed further for one year each.

With effect from 25th July 2020, the Scale of Finance decided by SLTC will supersede SOF already decided by the respective District Level Technical Committee (DLTC) in all districts.

The committee also decided SoF for poultry and fisheries activities, which are given in enclosed minutes of the meeting. We request you to circulate the SoF to all branches and delegates for information and immediate sanction of eligible loan proposals.

Yours sincerely,

(S.D.MAHURKAR)
Convenor/SLBC

Encl: a/a

1. ACS & APC, Govt. of M.P., Mantralaya, Bhopal
2. ACS, Animal Husbandry, Govt. of M.P., Mantralaya, Bhopal
3. Commissioner, Institutional Finnace, Govt. of M.P., Bhopal
4. Regional Director, RBI, Bhopal
5. Chief General Manager, NABARD, Bhopal
6. Lead District Manager (All) in M.P.

राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक – कार्यवृत

राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 22.07.2020 को वल्लभ भवन में कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आयोजित की गयी. बैठक के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :

1. पशु पालन- डेरी तथा मुर्गी पालन

भारत सरकार के विशेष केसीसी-पशुपालन अभियान में शीघ्र प्रगति के लिए पशुपालन से संबन्धित इकाई लागतों का निर्धारण किया गया जो निम्नानुसार हैं.

राशि रुपयों में

क्र.	आवर्ती व्यय हेतु मुख्य घटक (प्रति पशु वार्षिक व्यय)	देसी गाय	भैंस/संकर गाय	लेयर पक्षी	ब्रायलर पक्षी
1	पशु आहार की कीमत	40000.00	51000.00	750.00	150.00
2	मजदूरी	10000.00	10000.00	20.00	05.00
3	पानी एवं बिजली	4000.00	4000.00	05.00	01.00
4	पशु चिकत्सा	2000.00	2000.00	20.00	09.00
5	पशु बीमा	2000.00	3000.00	-	-
6	अन्य व्यय	2000.00	2000.00	05.00	05.00
7	चूजे की कीमत	-	-	-	30.00
8	योग	60000.00	72000.00	800.00	200.00
9	वित्तमान की अवधि (साख सीमा की अवधि)	3 माह	3 माह	एक वर्ष	3 माह
10	प्रति पशु वित्तमान की सीमा	15000.00	18000.00	800.00	200.00
11	ऋण भुगतान अवधि	एक वर्ष	एक वर्ष	एक वर्ष	एक वर्ष

यद्यपि डेरी पालन में लाभार्थी को दूध का भुगतान 10-30 दिनों में हो जाता है अतः समिति का निर्णय है की हितग्राही को 3 माह की साख सीमा दी जावे.

बैंक उपरोक्त वित्तमान में 10 प्रतिशत की घटत-बढ़त जिले की पारिस्थति के अनुसार कर सकते हैं.

2. मतस्य पालन

क्र.	विवरण	इकाई	आवर्ती व्यय प्रति वर्ष
1	मतस्य उत्पादन इकाई	01 एकड़	160000.00
2	मतस्य बीज संवर्धन	01 एकड़	80000.00
3.	पंगेशियस / तिलपिया मछली पालन	0.1 हेकटेयर	460000.00
4.	केज कल्चर	6x4x4 मीटर	294000.00
5	सिंचाई जलाशयों के पट्टेधारक समिति हेतु	100 हेकटेयर	900000.00
6	बायो फ्लोक	व्यास 4 मी ऊंचाई 1.5 मी के 07 टैंक	150000.00

3. बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 पर निर्धारित वित्तमान को SLBC को प्रषित की जावे ताकि राज्य के सभी बैंक (इसमे सभी जिला सहकारी बैंक शामिल हैं) उपरोक्त वित्तमान की अनुपलना करें.

4. फसली ऋण तथा भेड़-बकरी-सूकर पालन के लिए वित्तमान की समीक्षा तथा राज्य स्तर पर निर्धारण आगामी बैठक में किया जाएगा.

5. अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि SLTC गठित किए जाने संबंधी उनके आदेश दिनांक 29.05.2020 का परिपत्र पारित करने हेतु कृषि विभाग, वित्त तथा सामान्य प्रशासन विभाग से समन्वय करके परिपत्र शीघ्र पारित करवाएँ.

उपरोक्त बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई. बैठक के कार्यवृत कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2020 को अनुमोदित किए गए हैं।

Anil Shinde

म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित
प्रधान कार्यालय :
न्यू मार्केट, तात्या टोपे नगर,
भोपाल (म.प्र.) पिन – 462003
फैक्स : 0755 –2555684, 2674718
टेलीफोन : 0755– 2674727,2674725
हमें वेब पर देखें : www.apexbank.in

अपेक्स बैंक
APEX BANK

M.P. RAJAYA SAHAKARI BANK MYDT.,
Head Office:
New Market, Tatya Tope Nagar,
Bhopal (M.P.) Pin - 462003
Telegram: APEX BANK
Fax No. 0755 - 2555684, 2674718
Telephone: 0755-2674727, 2674725
visit us at : www.apexbank.in

क्र. म.प्र.(मुख्या)/30/टीसी/1232/– 1232 दिनांक : 15.09.2020 17–

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,
समस्त (म0प्र0)

विषयः–कृषकों को मत्स्यपालन हेतु कार्यशील पूंजी साख सीमा की योजना – संशोधित वित्तमान के संबंध में ।

संदर्भः–शीर्ष बैंक मुख्यालय का पत्र कमांक 30/टीसी/1241/1771 दिनांक 29.07.2020

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की दिनांक 22.07.2020 को संपन्न बैठक में पशुपालक एवं मत्स्य पालक कृषकों को कार्यशील पूंजी साख सीमा हेतु निर्धारित वित्तमान से अवगत कराया गया है। इसी तारतम्य में लेख है कि कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अध्यक्ष राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा मत्स्य पालक कृषकों के लिए पूर्व में विभिन्न इकाईयों के लिए निर्धारित वित्तमान के साथ–साथ कतिपय अतिरिक्त इकाईयों हेतु वित्तमान का अनुमोदन किया गया है, जो कि संलग्न प्रेषित है।

अतः अवगत होवे एवं उक्त अनुसार निर्धारित वित्तमान को दृष्टिगत रखते हुए साख सीमा प्रकरणों में नियमानुसार एवं पात्रता अनुसार स्वीकृति संबंधी आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

सलग्न – उपरोक्तानुसार

(प्रदीप नीखरा)
प्रभारी प्रबंध संचालक

Central Bank of India

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति-म.प्र. State Level Bankers' Committee M.P

ZO: SLBC: 2020-21: 195 September 11, 2020

To,

STATE HEAD OF ALL BANKS IN M.P.

Sub- **Fixation of Scale of Finance under KCC for Fisheries activities**

Ref- 1. NABARD, R.O, Bhopal letter no. रा.मप्रक्षेका.भोपाल/डा-एलटी/इकाई लागत/2020-21 dt. 07th September 2020

2. Our letter No. ZO: SLBC: 2020-21:125 dated 27.07.2020

3. Office Note dt. 02.09.2020 approved by APC and Add. Chief Secretary, Govt.of M.P.

This is with reference to above mentioned letters/Office Note on the captioned subject (Copy enclosed). The Agriculture Production Commissioner and Chairman of the State Level Technical Committee has approved the following Scale of Finance (SoF) for fisheries activities in addition to the SoF already decided by SLTC in its meeting held on 22nd July 2020 and circulated vide our letter no. ZO: SLBC: 2020-21:125 dated 27.07.2020. Details are as under-

Sr.	Particulars	Units	Recurring expenditure
1	R.A.S	7.65×7.65×1.5 meter (08 cement tanks)	20,70,000/-
2	Lease land holders	Boat/Net	23,000/-
3	Lakes	Boat/Net and remuneration	40,000/-

This is for your information and doing the needful.

Yours sincerely,

(S. D. MAHURKAR)
Convenor/SLBC

Encl: As above

Copy to-

1. APC & Add. Chief Secretary, Govt. of M.P., Mantralaya, Bhopal
2. Add. Chief Secretary, Fishermen Welfare & Fisheries Development Department, Govt. of M.P., Mantralaya, Bhopal
3. Commissioner, Institutional Finance, Govt. of M.P., Bhopal
4. Chief General Manager, NABARD, Bhopal

संदर्भ सं. राबें.मप्रक्षेका. भोपाल/डॉर-एलटी/इकाई लागत/ /2020-21

NABARD

07-09-2020

The Convenor
SLBC
Central Bank of India,
Bhopal

Dear Sir,

Fixation of SoF under KCC by SLTC

Please refer to SLTC meeting held on 22.07.2020. In this reference Department of Fisheries has requested to add the following activities under KCC. The proposed scale of finance is as under:-

S.No	Particulars	Units	Recurring expenditure
1	R A S	7.65x7.65x1.5 meter(08 cement tanks)	20,70,000/-
2	Lease land holders	Boat/Net	23,000/-
3	Lakes	Boat/Net and remuneration	40,000/-

The abovementioned SoF has been approved by Agriculture Production Commissioner vide Office note dated 02.09.2020. In view of above you are requested to circulate the same among bankers for information and necessary action.

Incidentally for claiming interest subvention under KCC circular has been issued as per GoI directive vide letter No.F-1-4/2020-Credit-1 dated 28 May 2020 and the same may be adhered to while sanctioning KCC limit.

Yours faithfully

(Maneesh Gupta)
Asstt.General Manager

Encl.1)A Copy of office note approved by APC and Additional Chief Secretary
2) GoI letter for interest subvention F-1/2020-21

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
मध्यप्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय
ई-5, अरेरा कॉलोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल-462016. टेली: +91 755 2463341 • फैक्स: +91 755 2466188 • ई मेल: bhopal@nabard.org
Madhya Pradesh Regional Office
E-5, Arera Colony, Bittan Market, Bhopal-462016 • Tel : +91 755 2463341 • Fax: +91 755 2466188 • E-mail: bhopal@nabard.org